अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0. 29 /2018-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 म0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारंभ की गयी। जांच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है- मौजा-अमाघाटा मौजा न0-09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकबा 10 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-।। के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 190 पर जमाबंदी रैयत श्री/श्रीमति सुरेन्द्र नारायण श्रीवास्तव के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 27/3/19 को रखे। 13.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned by CamScanner

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदित भूमि मौजा आमाघाटा मौजा न0 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 10 कटठा भूमि से संबधी राजस्व कागजात उपलब्ध कराने हेतु जमांबदी रैयत को नोटिश निर्गत किया गया। जमांबदी रैयत के संबध मे खोज–बीन करने के उपरांत पता नही चला, जिसके कारण नोटिश बिना तामिला का ही प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख में संलग्न है। संबधित राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरआवाद खाते की है दाखिल खारिज केस सं0 1083(I)1992–93 के अनुसार जमांबदी कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जमांबदी को संदेहास्पद माना है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरिक्षक ने उक्त जमांवदी को रद्व हेतु अनुशसा किया है।

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमांबदी रद्व अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता धनबाद, को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एव संशोधित।

20.6.20

अंचल अधिकारी,

धनबाद।

20.6.20

अचल अधिकारी,

धनबाद।

Scanned by CamScanner